प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 10.07.2026**

❖ **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

❖ **अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये रुपयों में से ₹ 800/- नगद व लूटा हुआ 01 मोबाइल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.06.2026 को थाना सिकन्दरा पर वादी मुकदमा मोहम्मद तालिब पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी वार्ड नं0 10 प्रताप नगर कस्बा डेरापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 15/16.06.2026 को रात्रि के समय चार पहिया सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर मोबाइल Vivo V29 व ₹ 3,000/- नगद एवं वादी के मोबाइल से यूपीआई पिन नम्बर लेकर वादी के खाते से ₹ 7,300/- दूसरे के खाते में ट्रान्सफर कर देने के सम्बन्ध में, जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0-108/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम 04 अभियुक्त नाम,पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. हसनैन उर्फ कैश पुत्र मो0 रईस निवासी मोहल्ला दमदमा जिलैठी मस्जिद के सामने कस्बा कालपी थाना कालपी जनपद जालौन को दिनांक 09.07.2026 को सूर्या फ्लाई ओवर के नीचे बने यात्री प्रतीक्षालय सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये रुपयों में से ₹800/- व लूटा हुआ 01 मोबाइल बरामद किया गया। पूर्व में अभियुक्त अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व0 आलोक खन्ना निवासी मिर्जामण्डी डाक्टर नरेश मैहर हास्पिटल के पास,कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

हसनैन उर्फ कैश पुत्र मो0 रईस निवासी मोहल्ला दमदमा जिलैठी कस्बा कालपी थाना कालपी जनपद जालौन उम्र 21 वर्ष

पूछताछ - अभियुक्त हसनैन उर्फ कैश उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 15/16.06.2026 की रात्रि में अपने साथियो 1. अभिनय खन्ना उर्फ अभि खन्ना पुत्र आलोक खन्ना निवासी मिर्जामण्डी कालपी जनपद जालौन 2. राजा पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला दमदमा जिलैठी मस्जिद के सामने कस्बा कालपी थाना कालपी जनपद जालौन 3. असद

उर्फ बाबा पुत्र अल्तमस निवासी अहरौली शेख, अमन गार्डन के पीछे, पुखरायां, थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के साथ उर्स मेला सिकन्दरा मे कब्बाली का प्रोग्राम देखने चार पहिया गाडी से आया था। दिनांक 16.06.2026 समय करीब 3.00 बजे रात्रि को वापस जाते समय हम लोगों को एक व्यक्ति हाईवे से सर्विस रोड पार कर खेतों की तरफ जाता दिखायी दिया तभी हम लोगों ने प्लानिंग कर खेत मे जाकर उसके साथ मारपीट कर उससे उसका मोबाइल व ₹ 3000/- नगद लूट लिये। मैने उसके मोबाइल का स्क्रीनलॉक व गूगल-पे का पिन पूछ लिया। जिससे उसके मोबाइल से ऑनलाइन पैसे ट्रांन्जेक्शन कर सके और उससे उसके खाते में और पैसे डलवाने के लिए कहा। फिर हम लोग उसका मोबाइल व करीब 3000/- रूपया लेकर वहां से गाडी में बैठकर अकबरपुर की तरफ भाग गये थे। मैंने उसके मोबाइल से 7,000/- रूपये व 300/- रूपये कुल 7,300/- रूपये के दो ट्रान्जेक्शन अपनी अम्मी शमा परवीन के खाते में किये। अम्मी के इस खाते को मैं ही चलाता हूँ। वहीं 7,300/- रूपये अभिनय उर्फ अभि खन्ना ने अपनी मां के खाते मे डलवाये। उसके बाद अभि खन्ना ने वही 7,300/- रूपये अपनी मां के खाते से अपने डाकखाने वाले खाते मे डाल दिये और डाकखाने से रूपये निकालकर 7,300/- रूपये मुझे दिये और मैने अभि खन्ना के हिस्से के 2,500/- रूपये उसे दे दिये। बाकी शेष रूपयो में से मैंने राजा व असद बाबा को 2,500-2,500 रूपये दे दिये। मैंने अपने हिस्से के कुछ रूपये खर्च कर लिये हैं, जो आज 800/ रूपये आप द्वारा मेरी तलाशी मे लिये गये है, वह उन्हीं लूटे गये 2,500/ रूपये में से शेष रूपये है। जो वीवो कम्पनी का आसमानी रंग का मोबाइल आपने तलाशी में मुझसे लिया है वह उसी व्यक्ति का लूटा हुआ मोबाइल है।

शेष अभियुक्तों राजा व असद उर्फ बाबा उपरोक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बरामदगी-

1. लूट के ₹ 800/- नगद व लूटा हुआ 01 मोबाइल वीवो कंपनी ।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री सुशील चन्द्र
3. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार
4. कां0 531 मनीष कुमार
5. कां0 651 सन्दीप कुमार
6. कां0 279 केरन प्रताप